भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी-2016/प्र.- 7/3

नई दिल्ली, तिथि: 21.01.2016

महाप्रबंधक (राजभाषा),
सभी रेलें तथा उत्पादन कारखाने
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), गुवाहटी
मेट्रो रेलवे, कोलकाता
केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद

महानिदेशक (राजभाषा),
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा
अ.अ.मा.सं., लखनऊ
निदेशक,
रेल मंत्रालय के अधीन सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान
रेल मंत्रालय के सभी उपक्रम

विषय: हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-गजल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना आधार वर्ष – 2015

रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरूचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय की हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-गजल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना पुरस्कार योजनाएं लागू है.

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत निम्नानुसार पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई है:-

क्रमांक	विधा	पुरस्कार	पुरस्कारों का विवरण	पुरस्कार राशि
(i)	कथा/कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य	प्रेमचंद पुरस्कार	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार 3.तृतीय पुरस्कार	15,000/-रू 7,000/-रू 3,300/-रू
(ii)	काव्य/गज़ल संग्रह	मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार 3.तृतीय पुरस्कार	15,000/-रू 7,000/-रू 3,300/-रू

अतः अनुरोध है कि इस योजना का अपने कार्यालय में व्यापक प्रचार करें ताकि अधिकाधिक रेल अधिकारी/कर्मचारी इस योजना की ओर आकर्षित हो सकें. वर्ष 2015 की इस योजना हेतु प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 31.05.2016 है. सभी प्रविष्टियां बोर्ड कार्यालय को प्रधान कार्यालय के माध्यम से भेजी जाएं.

<u>इस योजना की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैः-</u>

1. इस योजना के अंतर्गत केवल सेवारत रेलकर्मी या लेखक ही भाग लेने के पात्र होंगे.

2. जिस पुस्तक/कृति को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाए, वह पुस्तक पुरस्कार वर्ष (आधार वर्ष) से पिछले तीन वर्षों में लिखी (टंकित प्रति) अथवा प्रकाशित हुई होनी चाहिए.

   उदाहरणार्थः जैसे वर्तमान में आधार वर्ष 2015 के लिए प्रविष्टियां मांगी गई हों, तो इस योजना में पुस्तक भेजने के लिए उसका लेखन कार्य अथवा प्रकाशन कार्य 01/01/2013 से 31/12/2015 तक पूरा हुआ होना चाहिए, तभी इसे स्वीकार किया जाएगा.

3. पुस्तक लेखक की पूर्णतः मौलिक कृति होनी चाहिए. किसी अन्य भाषा से ली गई, अनूदित/संपादित अथवा इंटरनेट से डाउनलोड/कॉपी की गई पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा.

4. इस योजना के अंतर्गत एक लेखक/कवि को लगातार तीन वर्ष तक पुरस्कृत नहीं किया जाएगा.

5. लेखक को पुस्तक की 2 मुद्रित अथवा 2 टंकित प्रतियां भेजने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित संलग्न प्रपत्र में अपेक्षित जानकारी और घोषणा पत्र भरकर निदेशक (राजभाषा) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), कमरा. नं. 544, रेल भवन, नई दिल्ली को भेजना होगा.

6. पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठ से कम नहीं होनी चाहिए.

कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ लेखक द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा (प्रतिलिपि संलग्न) में प्रमाण-पत्र भिजवाया जाए.

संलग्नकः यथोक्त

(रिसाल सिंह)
उप निदेशक (राजभाषा)
मो:09717647508

प्रतिलिपिः बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ प्रेषित.

प्रेमचंद/मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना

1. (क) लेखक का नाम (द्विभाषी रूप में) :
   (ख) पदनाम :
   (ग) कार्यालय का नाम और पता :
2. पुस्तक का नाम :
3. पुस्तक का विषय :
4. प्रकाशक का नाम व पता (यदि काई हो) :
5. पुस्तक लिखने का कार्य पूरा करने की तारीख (माह-वर्ष) :
6. पृष्ठों की संख्या :

घोषणा पत्र

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और इसे किसी अन्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पहले कभी पुरस्कृत नहीं किया गया है. यह पुस्तक पुरस्कार वर्ष से पिछले तीन वर्ष के दौरान पहली बार लिखी गई (टंकित प्रति) अथवा प्रकाशित की गई है और इससे किसी दूसरे के कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है.

लेखक के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

कार्यालय का पूरा पता :

रेलवे फोनः

दिनांकः

मोबाइल नं.:

स्थान :

ई-मेलः

फैक्स नं.: